पत्रांकः सं0सं0–02 / उ0नि0 / स्वीकृत्यादेश 03–10 / 2015..................

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत मेसर्स ग्लोब्स स्प्रीट्स लि0, वैशाली को रू0 50000000.00 (पाँच करोड़ रूपए) की अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक–12.10.2018 की बैठक में लिए गए निर्णय तद्नुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–1764 दिनांक–23.10.2018 के आलोक में मेसर्स ग्लोब्स स्प्रीट्स लि0, वैशाली को 50000000.00 (पाँच करोड़ रूपए) पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

(i) ईकाई अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों / प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन मांग–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852– उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–102– औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड – 23–2852801020160 विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में राज्यादेश संख्या–2060, दिनांक–11.06.18 द्वारा उपबंधित राशि एवं आवंटनादेश संख्या 5 / DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.- 1480 दिनांक–13.06.18 के द्वारा आवंटित राशि से विकलित होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

कृ0प0उ0

5. इस राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान मेसर्स ग्लोब्स स्प्रीट्स लि0, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इण्डस्ट्रीयल फाइनेंस ब्रांच, नई दिल्ली—110001 के खाता संख्या—30066509440, IFS Code-SBIN0009601 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

ह0/—
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक— 3723 पटना, दिनांक 29.10.18

प्रतिलिपिः— वित्त विभाग, बिहार, पटना /योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा—01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स ग्लोब्स स्प्रीट्स लि0, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना